न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2019	01–02–2019	12–12–2019

01– पृथ्वी सिंह नरूका पुत्र श्री मूल सिंह नरूका निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ़ जिला अलवर हाल निवासी सेवानिवृत चीफ टीकट इन्सपेक्टर, 36 कृष्ण कॉलोनी, अरावली विहार, अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

01– ग्राम पंचायत जरिये सचिव थाना राजाजी, पं.स. राजगढ़, जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र आराजी खसरा नम्बर 287 गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम थाना राजाजी, पंचायत समिति राजगढ़।

उपस्थितः–
01–श्री निर्मल जैन/श्री अतुल्य माथुर

–वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

निगरानीकार ने यह प्रार्थना–पत्र आराजी खसरा नम्बर 287 गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम थाना राजाजी, पंचायत समिति राजगढ़ जिला अलवर में बने हुये मकानात् का पट्टा जारी नहीं करने, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के बुजुर्गान् की जमीन व जायदाद आराजी खसरा नम्बर 287 गैर मुमकिन आबादी रावला (महल) वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का करीब 80 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने बाबत प्रा0पत्र ग्राम पंचायत थाना राजाजी को पेश किया गया। जिस पर दि0 05.06.2010 को प्रा0पत्र खारिज कर दिया गया। ग्राम पंचायत के आदेश की अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ में दायर की गयी। जिसमें दि. 13.01.2014 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम पंचायत को नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही के आदेश दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

में एसबी सिविल रिट पीटिशन दायर की गयी। दि0 20.12.2018 को निर्णय पारित किया कि जिलाधीश के यहां आवश्यक कार्यवाही करे जिस आदेश की पालना में प्रा0पत्र पेश किया गया है। राज्य सरकार ने जिन जायदादों का स्वामित्व नहीं होने लेकिन उन पर कब्जा काफी वर्षों से होने के आधार पर ग्राम पंचायत को पंचायत एक्ट के नियम 157 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि जायदाद पर काबिज व्यक्तियों को कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करें। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इस आधार पर पट्टा जारी नहीं किया कि प्रार्थी ने स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उक्त जायदाद बाबत अलवर के अंतिम नरेश महाराज सवाईतेजसिंह के द्वितीय पुत्र महाराज कुंवर यशवंत सिंह ने सन् 1983 में दावा सं0 24/1983 अनुवान यशवंत सिंह बनाम पृथ्वी सिंह न्यायालय जिला न्यायाधीश अलवर में दायर किया था। जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजगढ को मुन्तकिल किया गया तथा दि0 16.01.1995 को खारिज हो गया। जिसकी कोई अपील दायर नहीं हुई। जिसमें प्रार्थी ने अपना कब्जा 50 वर्ष से अधिक का होना बताया है। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत थाना राजाजी को पेश की गयी। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कतैई गौर नहीं किया गया। तत्कालीन पटवारी ग्राम पंचायत थानाराजाजी ने वर्ष 1983 में विवादित आराजी की चार दिवार की भितरी जमीन को सिवायचक में खेती करने की रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ को पेश की थी। लेकिन तहसीलदार राजगढ ने प्रार्थी की भूमि को निजी सम्पत्ति माना है। जिस पर तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिया एवं पटवारी को हिदायत दी कि भविष्य में आबादी की रिपोर्ट ना करें। प्रार्थी ने विवादित जमीन व मकानात् पर विद्युत व पानी का कनैक्शन लिया हुआ है। यशवंत सिंह पुत्र सवाईतेज सिंह निवासी 20, ऑरंगजेब रोड़, नई दिल्ली ने जिला न्यायाधीश महोदय अलवर के यहां आदेश 40 नियम 01 के तहत वादग्रस्त सम्पत्ति पर रिसीवर नियुक्त करने का प्रा0पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा यह माना है कि यशवंत सिंह दावा दायरी के समय विवादित आराजी पर काबिज नहीं था, बल्कि प्रार्थी विवादित आराजी पर चला आ रहा है और यशवंत सिंह का प्रा.पत्र खारिज कर दिया गया। लेकिन ग्राम पंचायत थाना राजाजी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 287 गैर मुमकिन आबादी रावले में बने हुये मकानात् का पट्टा जारी करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पंचायत समिति राजगढ के निर्णय दि0 13.01.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पीटिशन पेश की गई थी। जिसमें दि0 20.12.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को आदेश दिये गये कि जिला कलक्टर के न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रा0पत्र पेश करें। प्रार्थी द्वारा प्रकरण पंचायत समिति राजगढ द्वारा ग्राम पंचायत थानाराजाजी को रिमाण्ड करने के उपरांत ग्राम पंचायत के निर्णय से पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पेश कर दी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र ग्राम पंचायत थानाराजाजी पंचायत समिति राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं पंचायत समिति के सदस्यों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)